झारखंड उच्च न्यायालय रांची सिविल रिट याचिकासं. **4193/2018**

1. महेंद्र यादव, आयु- लगभग 67 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अजब यादव
2. ज्ञानदेव यादव, आयु- लगभग 62 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अजब यादव
3. उपेंद्र यादव, आयु- लगभग 60 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अजाबी यादव
4. जय प्रकाश यादव, आयु- लगभग 58 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अजाबी यादव
5. सत्य नारायण यादव, आयु- लगभग 52 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अजाबी यादव
6. जय नारायण यादव, आयु- लगभग 46 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अजब यादव
7. धनंजय यादव, आयु- लगभग 42 वर्ष, पिता- स्वर्गीय अजाबी यादव
8. विष्णु प्रसाद यादव, आयु- लगभग 46 वर्ष, पिता- स्वर्गीय रामकृष्ण यादव
9. दिलीप यादव, आयु- लगभग 48 वर्ष, पिता- स्वर्गीय रामकृष्ण यादव
10. गोविंद यादव, आयु- लगभग 80 वर्ष, पिता- स्वर्गीय रक्सू यादव

    सभीगाँव गोरी घाट के सभी निवासी, डाकघर गोड्डा, थाना. गोड्डा (टी), जिला गोड्डा के निवासी

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. सिकंदर यादव, पिता- स्वर्गीय फोगन यादव
3. अनुज यादव, पिता- स्वर्गीय फोगन यादव
4. कुंदन यादव, पिता- स्वर्गीय फोगन यादव
5. रामानंद यादव, पिता- स्वर्गीय डेगन यादव
6. परमानंद यादव, पिता- स्वर्गीय डेगन यादव

    सभीगाँव गोरी घाट, डाकघर गोड्डा, थाना. गोड्डा (टी), जिला गोड्डा के निवासी

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए:श्री मनोज कुमार नं. 4, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिएः श्री प्रशांत के. राय, स्थायी अधिवक्ता(एलएवंसी) । के सहायक अधिवक्ता

श्री रंजन कुमार सिंह, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा: <u>अंतर्वर्ती आवेदन सं. **3512/2023**</u>

दोनों पक्षों को सुना गया

2. यह अंतर्वर्ती आवेदन याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादीसंख्या 2 से 6 द्वारा संयुक्त रूप से उनके बीच संयुक्त समझौता याचिका को स्वीकार करने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विरोधी पक्ष संख्या2 से 6 के विद्वान वकील संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों ने अदालत के बाहर अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और उनके बीच अच्छे संबंध बहाल हो गए हैं।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विरोधी पक्ष के विद्वान वकील द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रस्तुत किया जाता है कि समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लेख इस अंतर्वर्ती आवेदन के पैराग्राफ 5 और 7 में किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका का निपटारा समझौते के संदर्भ में किया जाए।

4. राज्य के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं और विरोधी पक्ष संख्या 2 से 6 द्वारा संयुक्त रूप से की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

5. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा पक्षों के बीच किए गए समझौते के संदर्भ में किया जाता है और तत्काल अंतर्वर्ती आवेदन के पैराग्राफ संख्या 5 और 7 को इस आदेश के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

6. तदनुसार, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. तत्काल रिट याचिका के निपटारे को ध्यान में रखते हुए, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 3512/2023 का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 25 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|